



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

12-2-88

सं. 523]
No. 523]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 1987/आश्विन 23, 1909
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1987/ASVINA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1987

अधिसूचना

का.भा. 923(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ बानबेवां संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, दूसरी धनुसूची में,—

(अ) “खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, उपशीर्षक “ख. नागरिक पूर्ति विभाग” के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“9. उपभोक्ता संरक्षण धिनियम, 1986 (1986 का 68)।”

(ii) प्रविष्टि 17 के अस्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

17. “भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63)।” ;

(आ) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(क) उपशीर्षक "क. शिक्षा विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 9 का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्षक "ख. युवक कार्यक्रम और खेल विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 25 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"26. शारीरिक शिक्षा।"

आर. वेंकटरामन
राष्ट्रपति

[फा.सं. 74/2/87-मंत्रि.]
दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 13th October, 1987

NOTIFICATION

S.O. 923(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety-second Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(A) under the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)",—

(i) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"9. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).";

(ii) for entry 17, the following entry shall be substituted, namely:—

"17. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).";

(B) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)",—

(a) under sub-heading "A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)", entry 9 shall be omitted;

(b) under sub-heading "B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL VIBHAG)", after entry 25, the following entry shall be added, namely:—

"26. Physical Education."

R. VENKATARAMAN
PRESIDENT

[F. No. 74/2/87-Cab.]
DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.